प्रेषक,

जिला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक
चिल्ड्रेन एकेडमी पंचक्रोशी मार्ग
सलारपुर, वाराणसी।

पत्रांकः बेसिक/ 18390 - 392 /2021–22 दिनांकः 10.4.2021

विषयः विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त द्वारा **चिल्ड्रेन एकेडमी पंचक्रोशी मार्ग सलारपुर, वाराणसी** को 03 वर्ष की अवधि तक के लिए नर्सरी से 8 तक के लिए अनन्तिम **अंग्रेजी** माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस संदर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक के द्वारा अन्य पत्रजात की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। उक्त विद्यालय निजी भूमि के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप **चिल्ड्रेन एकेडमी पंचक्रोशी मार्ग सलारपुर, वाराणसी** की मान्यता को स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79–6–2013– 18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में उल्लिखित शर्तो यथावत् लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तो का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या 419/79–6–2013– 18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 के नियम–13 के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

पृसं0: बेसिक/ /2021–22 पद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

Principal
CHILDREN ACADEMY
Salarpur, Varanasi

Manager
CHILDREN ACADEMY
SALARPUR, VARANASI